स्थानीय निर्वाचन (ग्राम पंचायत)

# नामनिर्देशन–पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा

# तथा

# प्रतीक आवंटन

प्रस्तुतकर्ता – दीपक पाण्डेय तहसीलदार

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# निर्वाचन की सूचना

ग्रामीण निकाय के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य पद के निर्वाचन की सूचना

जारीकर्ता जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्ररूप–2 (पंच/सरपंच) तथा प्ररूप–3 (जनपद/जिला पंचायत सदस्य) में

इस सूचना में

- नाम निर्देशन पत्र **प्रस्तुत** करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय
- नाम निर्देशन पत्रों की **संवीक्षा** का स्थान, तारीख और समय
- अभ्यर्थिता **वापस** लेने का स्थान, अंतिम तारीख और समय
- **मतदान** (यदि आवश्यक हुआ तो ) की तारीख और समय
- **मतगणना** का स्थान तारीख और समय
- सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख , समय तथा स्थान विर्निदिष्ट किया जावेगा

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन

- जिला निर्वाचन अधिकारी
- रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय
- संबंधित ग्राम पंचायत

के कार्यालय के सूचना फलक पर

# निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन

- ✓ निर्वाचन की सूचना प्ररूप–2 या 3 के प्रकाशन के साथ–साथ प्रत्येक स्थान के मामले में, जिसके लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति दर्शाते हुये प्ररूप–3–क (पंच/सरपंच) या 3–ख (जनपद/जिला सदस्य) में सूचना भी प्रकाशित की जायेगी।
- ✓ साथ ही मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

# नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के पूर्व की तैयारी

**:: रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन की सूचना प्रकाशन से पूर्व आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना ::**

- ✓ अधिनियम, नियम एवं अन्य पुस्तके.
- ✓ मतदाता सूचियों की अभिप्रमाणित प्रतियॉ दो प्रति में.
- ✓ विभिन्न मुद्रित प्ररूप :— प्ररूप 3, 4, 5, 6, 7, 10, शपथ—पत्र
- ✓ नमूना हस्ताक्षर का प्रपत्र
- ✓ निक्षेप राशि हेतु रसीद कट्टा.
- ✓ रजिस्टर, कोरे कागज, कार्बन, पिन आदि.
- ✓ कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि.

# नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के पूर्व की तैयारी

## :: कार्य विभाजन एवं कर्मचारियों का चयन ::

- ✓ मतदाता सूची का प्रदर्शन कार्य.
- ✓ कोरे नामनिर्देशन पत्र का वितरण एवं निक्षेप जमा कार्य.
- ✓ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुति पर प्रारम्भिक जॉच कार्य.
- ✓ अभ्यर्थी को विभिन्न दस्तावेज प्रदान करना व नमूना हस्ताक्षर प्राप्ति का कार्य.
- ✓ आयोग की वेबसाइट पर प्रतिदिन जानकारी भेजना.

# नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

- सूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा
- कोई भी अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक अपना नाम निर्देशन पत्र सूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद सातवें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है
- सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही करना है
- यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगला दिन सातवां दिन माना जायेगा

# नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

- **सार्वजनिक अवकाश** से आशय केवल उसी अवकाश दिवस से है जो कि राज्य शासन द्वारा अपने कार्यालयों के साथ साथ शासकीय कोषालयों एवं उप कोषालयों के लिये भी घोषित किया गया है
- यदि कोई अवकाश कोषालयों एवं उप कोषालयों के लिये नही है, तो उसे सार्वजनिक अवकाश नही माना जायेगा, भले ही अन्य शासकीय कार्यालय के लिये वह अवकाश का दिन हो

# नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

- ✓ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय 10.30 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह के बीच होगा
- ✓ नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिवस 3.00 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जितने व्यक्ति उपस्थित हों उन्हें उपस्थिति पर्ची दे दी जावे, और उन्हीं व्यक्तियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जावें

# प्रारूप – 4

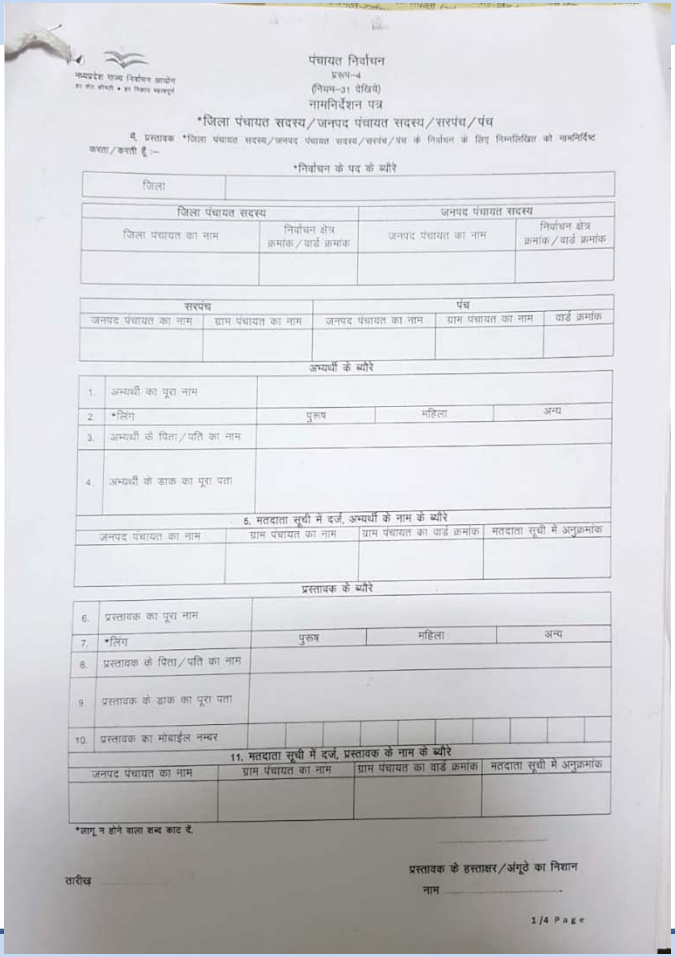

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन

प्रारूप–4

(नियम–31 देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच

मैं, प्रस्तावक *जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ :–

*निर्वाचन के पद के ब्यौरे

| जिला | |
|---|---|

| जिला पंचायत सदस्य | | जनपद पंचायत सदस्य | |
|---|---|---|---|
| जिला पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक | जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक |
| | | | |

| सरपंच | | पंच | | |
|---|---|---|---|---|
| जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक |
| | | | | |

अभ्यर्थी के ब्यौरे

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अभ्यर्थी का पूरा नाम | | | |
| 2. | *लिंग | पुरुष | महिला | अन्य |
| 3. | अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम | | | |
| 4. | अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता | | | |

5. मतदाता सूची में दर्ज, अभ्यर्थी के नाम के ब्यौरे

| जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक | मतदाता सूची में अनुक्रमांक |
|---|---|---|---|
| | | | |

प्रस्तावक के ब्यौरे

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | प्रस्तावक का पूरा नाम | | | |
| 7. | *लिंग | पुरुष | महिला | अन्य |
| 8. | प्रस्तावक के पिता/पति का नाम | | | |
| 9. | प्रस्तावक के डाक का पूरा पता | | | |
| 10. | प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर | | | |

11. मतदाता सूची में दर्ज, प्रस्तावक के नाम के ब्यौरे

| जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक | मतदाता सूची में अनुक्रमांक |
|---|---|---|---|
| | | | |

*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख ..........

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम ..........

1/4 Page

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# प्ररूप – 4

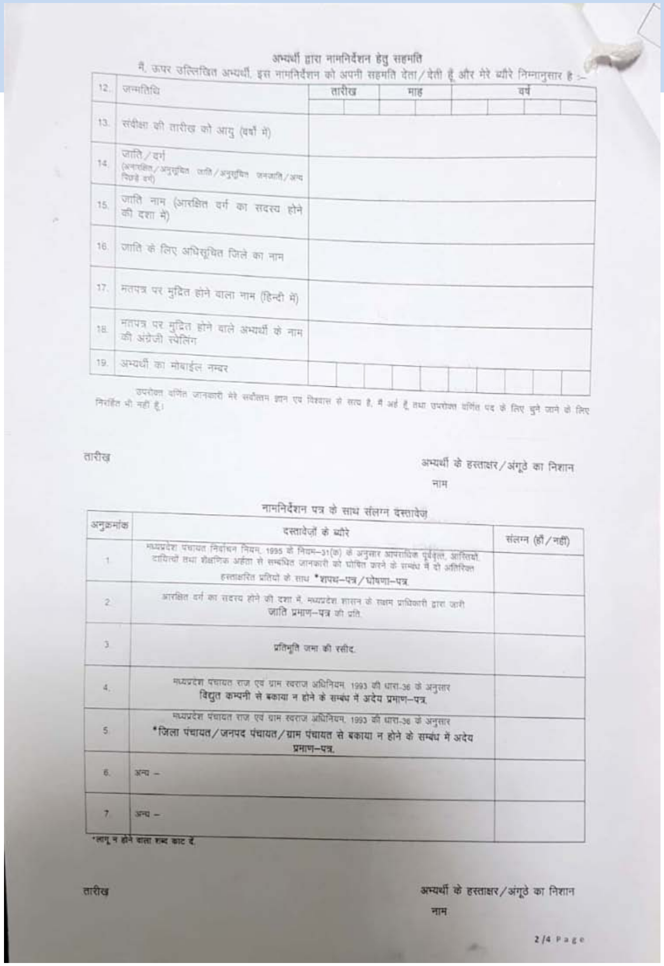

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन हेतु सहमति

मैं, ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन को अपनी सहमति देता/देती हूँ और मेरे ब्यौरे निम्नानुसार है :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | जन्मतिथि | तारीख | माह | वर्ष |
| 13. | संवीक्षा की तारीख को आयु (वर्षों में) | | | |
| 14. | जाति/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग) | | | |
| 15. | जाति नाम (आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में) | | | |
| 16. | जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम | | | |
| 17. | मतपत्र पर मुद्रित होने वाला नाम (हिन्दी में) | | | |
| 18. | मतपत्र पर मुद्रित होने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग | | | |
| 19. | अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर | | | |

उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है, मैं अर्ह हूँ तथा उपरोक्त वर्णित पद के लिए चुने जाने के लिए निरर्हित भी नहीं हूँ।

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

| अनुक्रमांक | दस्तावेज़ों के ब्यौरे | संलग्न (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|
| 1 | मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–31(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से सम्बंधित जानकारी को घोषित करने के संबंध में दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ *शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र | |
| 2 | आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में, मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति | |
| 3 | प्रतिभूति जमा की रसीद. | |
| 4. | मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र. | |
| 5. | मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार *जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र. | |
| 6. | अन्य – | |
| 7. | अन्य – | |

*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

2/4 Page

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# प्रारूप – 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक | | |
| 2. | रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख | | |
| 3. | रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय | | |
| 4. | *रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति | अभ्यर्थी | प्रस्तावक |

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों के ब्यौरे, जिसके लिए अभ्यर्थी को रसीद प्रदान की गई है.
(कॉलम क्रमांक–3 एवं 4 में, वही ब्यौरे अंकित किए जाए, जो कि अभ्यर्थी को सौंपी गई रसीद में लिखे है.)

| अनुक्रमांक | दस्तावेज़ों के ब्यौरे | संलग्न (हाँ/नहीं) | यदि संलग्न नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को विशिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा | |
|---|---|---|---|---|
| | | | तारीख एवं समय | अवसर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–31(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से सम्बंधित जानकारी घोषित करने के सम्बंध में **दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति के साथ *शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र** | | रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही *शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. | |
| 2. | आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **जाति प्रमाण–पत्र** की प्रति. | | | संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व |
| 3 | प्रतिभूति जमा की रसीद. | | रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्रतिभूति जमा की रसीद, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. | |
| 4. | मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अनुसार **विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र.** | | | संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व |
| 5. | मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अनुसार ***जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र.** | | | संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व |
| 6. | अन्य – | | | |
| 7 | अन्य – | | | |

*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख

**रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर**

नाम



**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# प्ररूप – 4

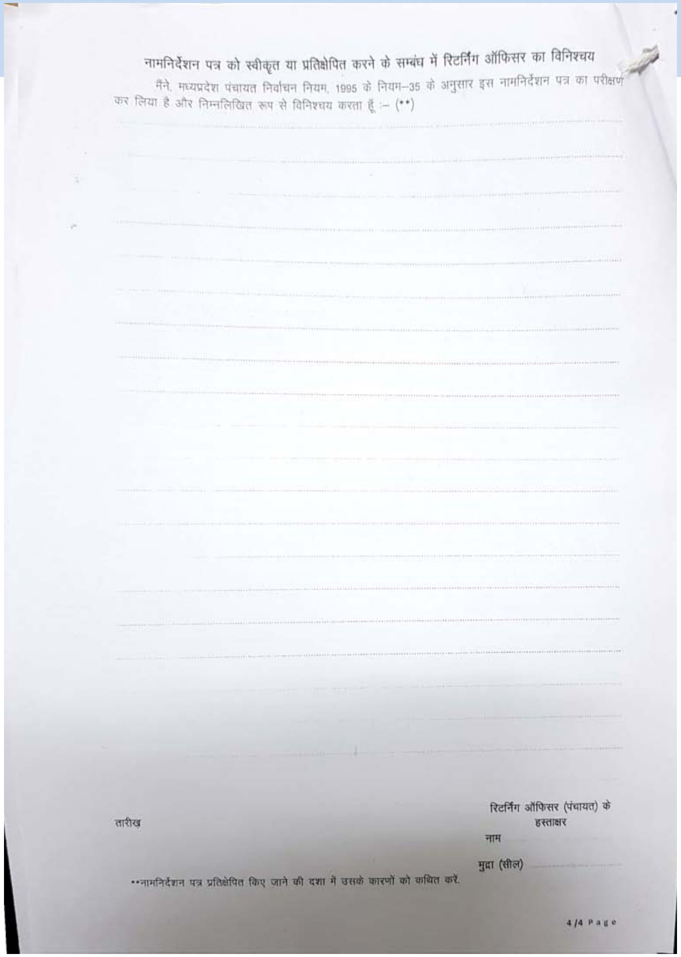

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–35 के अनुसार इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण कर लिया है और निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :– (**)

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम

मुद्रा (सील)

**नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किए जाने की दशा में उसके कारणों को कथित करें.

4 /4 Page

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# प्ररूप – 4

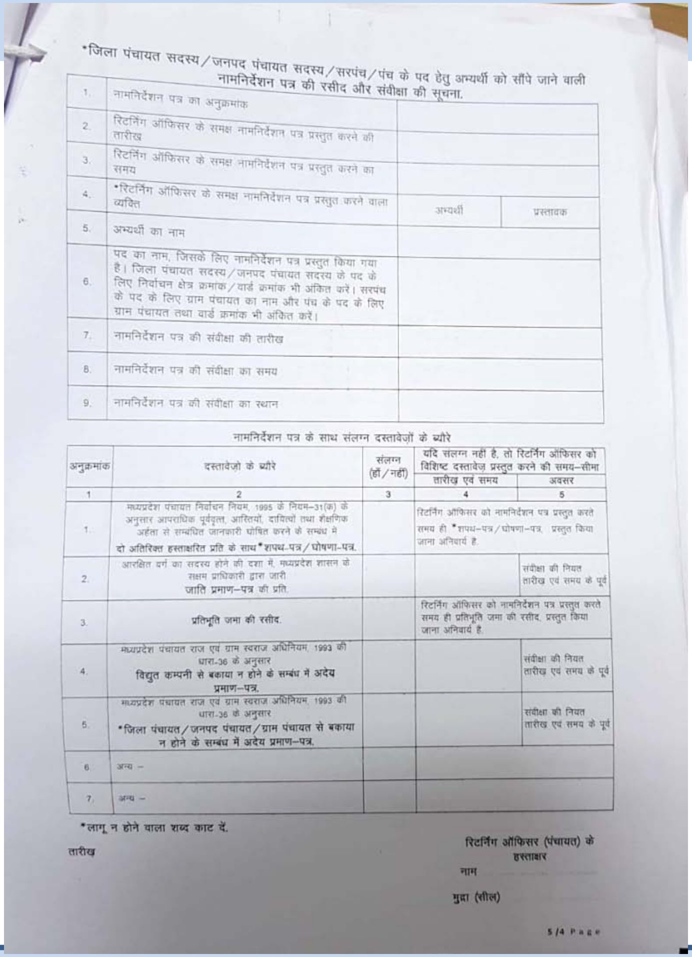

*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के पद हेतु अभ्यर्थी को सौंपे जाने वाली नामनिर्देशन पत्र की रसीद और संवीक्षा की सूचना.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक | | |
| 2. | रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख | | |
| 3. | रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय | | |
| 4. | *रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति | अभ्यर्थी | प्रस्तावक |
| 5. | अभ्यर्थी का नाम | | |
| 6. | पद का नाम, जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य के पद के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक भी अंकित करें। सरपंच के पद के लिए ग्राम पंचायत का नाम और पंच के पद के लिए ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रमांक भी अंकित करें। | | |
| 7. | नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तारीख | | |
| 8. | नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय | | |
| 9. | नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान | | |

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों के ब्यौरे

| अनुक्रमांक | दस्तावेज़ो के ब्यौरे | संलग्न (हाँ/नहीं) | यदि संलग्न नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को विशिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की समय–सीमा | |
|---|---|---|---|---|
| | | | तारीख़ एवं समय | अवसर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–31(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से सम्बंधित जानकारी घोषित करने के सम्बंध मे **दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति के साथ*शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र.** | | रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही *शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. | |
| 2. | आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में, मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **जाति प्रमाण–पत्र** की प्रति. | | | संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व |
| 3. | **प्रतिभूति जमा की रसीद.** | | रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्रतिभूति जमा की रसीद, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. | |
| 4. | मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार **विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र.** | | | संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व |
| 5. | मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार ***जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र.** | | | संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व |
| 6. | अन्य – | | | |
| 7. | अन्य – | | | |

*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम

मुद्रा (सील)

5/4 Page

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# निक्षेप राशि

- पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिये कोई व्यक्ति अधिकतम दो ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है
- जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्थान के लिये दो नाम निर्देशन पत्र जमा किये जायें तो उससे एक से अधिक निक्षेप की राशि प्राप्त नहीं करना चाहिये
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तब वह सभी पदों के लिये निक्षेप की राशि जमा करेगा

# निक्षेप राशि

- iap & 400 :
- ljiap & 2000 :
- tuin lnL; & 4000 :
- ftyk iapk;r lnL; & 8000 :

अजा/अजजा/अपिव/महिला अभ्यर्थियों के लिये निक्षेप की राशि का आधा भाग जमा करना होगा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

# शपथ पत्र

पंचायत निर्वाचन

पंच – **घोषणा पत्र**

सरपंच – **शपथ पत्र**

जनपद सदस्य – **शपथ पत्र**

जिला पंचायत सदस्य – **शपथ पत्र**

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# शपथ पत्र

✓ **प्रत्येक अभ्यर्थी – लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामले, स्वयं की तथा उसके /उसकी पति या पत्नि और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा –**

(क) किसी लंबित आपराधिक मामले , जिसमें वह आरोपित है और किसी निपटाए गए आपराधिक मामले , जिसमें वह सिद्धदोष ठहराया गया है ,

(ख) जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति , जिसका / जिसमें वह स्वयं , उसका पति या पत्नि तथा उसके आश्रित बालक , संयुक्तत: या पृथकत: स्वामी या हिताधिकारी है ;

( **आश्रित बालक** *से अभिप्रेत है ऐसे पुत्र तथा पुत्रियां जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नही है , और जो जीविका के लिए अभ्यर्थी पर पूर्णत: आश्रित हैं* )

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# शपथ पत्र

(ग) किसी लोक वित्तीय संस्था के प्रति उसके दायित्व ( लोक वित्तीय संस्था से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 –ए के अर्थ के अंर्तगत् कोई लोक वित्तीय संस्था और उसके अंर्तगत् आता है बैंक )

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रति उसके दायित्व

(इ) शैक्षणिक अर्हता जो वह रखता है , शपथ पत्र में देगा

- ✓ शपथ पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जावेगा
- ✓ यह अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित व मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त / नोटरी के समक्ष शपथित होगा

# शपथ पत्र

- ✓ शपथ पत्र का प्रत्येक कालम भरा जावे और यदि किसी कालम की जानकारी निरंक है तो उस कालम में "निरंक" अंकित किया जावे
- ✓ **शपथ पत्र की दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियां भी प्राप्त की जावे**
- ✓ शपथ पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा
- ✓ शपथ पत्र की एक प्रति का प्रदर्शन रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर किया जावेगा
- ✓ शपथ पत्र का प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जावे

# शपथ पत्र

- ✓ शपथ पत्र की प्रति मांगे जाने पर एक रूपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदान की जावे
- ✓ यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ पत्र में दी गई जानकारी के विरूद्ध शपथ पत्र प्रस्तुत करता है , तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे , और उसका प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जावे

# नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते ही उस पर क्रमॉक, प्राप्त करने की तारीख और समय अंकित किया जावे साथ ही यह भी अंकित किया जावे की नाम निर्देशन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है (अर्थात् अभ्यर्थी/ प्रस्तावक का नाम )
- पंच एवं सरपंच के मामलों में नामनिर्देशन पत्र खण्ड मुख्यालय के साथ साथ विहित केन्द्रों पर भी प्राप्त किए जाते हैं, इनमें भेद करने के लिए
- पंच एवं सरपंच के मामलों में जो नामांकन पत्र खण्ड के अंतर्गत किसी केन्द्र पर लिए जा रहे हैं उनके क्रमांक के आगे ''क'' लिखा जाए और जो नामांकन पत्र खण्ड मुख्यालय पर लिए जा रहे हैं उनके क्रमांक के आगे ''ख'' अंकित किया जाएगा

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- किसी अभ्यर्थी के प्रथम नाम निर्देशन पत्र पर कोष्टक में (1) लिखा जावे, यदि वही अभ्यर्थी अपना दूसरा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे पूर्व का कमॉक देकर कोष्टक में (2) अंकित कर दिया जावे
- जैसे – अभ्यर्थी x के द्वारा पहला नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर उसे कमॉक–3 (1) दिया, यदि उसी अभ्यर्थी ने दूसरा नाम निर्देशन पत्र जमा किया है तो उसे कमॉक–3 (2) दिया जावेगा

# नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी और प्रस्तावक का **मतदाता क्रमॉक** सही भरा गया है, इसकी जॉच कर लें, यदि ऐसा न हो तो उसे त्रुटि सुधारने के लिये कहें
- नाम निर्देशन पत्र में **ओवर राईटिंग** हो तो प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर कर सत्यापित करवा लें
- यदि अभ्यर्थी **आरक्षित वर्ग** से है तो संगत स्थान पर उसने अपनी जाति भरी है या नही इसकी जॉच कर लें, न भरे होने की स्थिति में भरने के लिये कहें

# नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम निर्देशन पत्र के क्रमांक 12 मे अभ्यर्थी ने अपनी जन्मतिथि व क्रमांक 13 में उम्र भरी है या नही उसकी जॉच कर लें

- **क्रमांक 17** में अभ्यर्थी जिस रूप में **मतपत्र में अपना नाम** अंकित कराना चाहता है, का लेख किया गया है, अभ्यर्थी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करावें, इसी प्रकार **क्रमांक 18** में अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में लिखा जाना है इस ओर उसका ध्यान आकृष्ट करें

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉंच

- अभ्यर्थी के द्वारा जमा निक्षेप की रसीद आवेदन के साथ रखें.
- अभ्यर्थी के द्वारा विहित प्ररूप में शपथ पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया है और शपथ पत्र / घोषणा पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति की है, कि जॉच करें। यदि शपथ पत्र के कॉलमों की पूर्ति न की हो तो ऐसा करने के लिये कहें, यहॉं तक कि यदि किसी कॉलम की जानकारी शून्य है तो उस कॉलम में निरंक शब्द अंकित किया जाये
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी **जाति प्रमाण पत्र /शपथ पत्र** की प्रति प्रस्तुत करने के लिये कहें

# नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम – निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों का विवरण भी अंकित किया जाना है, अभ्यर्थी इसे भरकर अपने हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी लगाएगा । रिटर्निंग अधिकारी को नाम– निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय इसकी जॉच कर लेना चाहिए ।

# रसीद – मिलान सूची का प्रदान किया जाना

- नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त करने के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को विहित प्ररूप में रसीद प्रदान करेगा। यह रसीद नाम निर्देशन पत्र के साथ ही छपी हुई है।
- इस रसीद में संवीक्षा के लिये नियत दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना दी जाती है
- रसीद (पावती) में अभ्यर्थी के द्वारा जो दस्तावेज / अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है
- जो दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए हैं वे कब तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं इसका भी उल्लेख है

# नामनिर्देशन पत्रों की दैनिक जानकारी

**<u>प्रतिदिन 3.00 बजे के बाद तैयार की जाने वाली जानकारियां</u>**

- नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण– पंच (परिशिष्ट 17), सरपंच( परिशिष्ट–18) एवं जिला पंचा. सदस्य/जनपद सदस्य (परिशिष्ट –19) , आयोग को भेजा जाना है।
- नाम निर्देशन पत्रों का समेकित विवरण– पंच (परिशिष्ट 20),सरपंच( परिशिष्ट–21) एवं जिला पंचा. सदस्य/जनपद सदस्य (परिशिष्ट –22) , आयोग को भेजा जाना है।
- दैनिक जानकारी एवं नामनिर्देशन–पत्र की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना.

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# संवीक्षा से पूर्व की तैयारियां

- ✓ संवीक्षा के पूर्व, पद वार एवं अभ्यर्थीवार आवेदन पत्रों को जमा लेवें, तारीख एवं समय के मान से प्राप्त आवेदन पत्रों को, क्रमानुसार रखा जावे । एक ही अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों को एक साथ कर लेवें । ताकि उनकी संवीक्षा एक साथ की जा सके ।

- ✓ अपने कार्यालय में, किस पद की संवीक्षा की जा रही है, इसकी जानकारी प्रेषण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं

# संवीक्षा से पूर्व की तैयारियां ( पंचायत )

- ✓ रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जाना चाहिए
- ✓ पंच पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ,सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी संवीक्षा कर सकते हैं , किन्तु किसी नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया जाना हो तो इसका विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी स्वयं करेगें ।

# संवीक्षा के समय कौन कौन उपस्थित हो सकता है

''**नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा एक अर्ध न्यायिक कार्य है , अतैव यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ही किया जावे** ''

आप एवं आपके द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के अलावा

- ✓ अभ्यर्थी स्वयं
- ✓ अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता
- ✓ अभ्यर्थी का कोई एक प्रस्तावक
- ✓ अभ्यर्थी द्वारा **लिखित** में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति

# नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार (पंचायत)

- ✓ पंच पद के लिए अभ्यर्थी का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है ।
- ✓ पंच पद के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है ।
- ✓ सरपंच पद के लिए अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है ।
- ✓ जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए प्रस्तावक खण्ड के भीतर के किसी ग्राम के मतदाता के रूप में होना आवश्यक है।
- ✓ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रस्तावक जिले के भीतर के किसी मतदाता के रूप में होना चाहिए।

# नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार

- ✓ आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो । ( *आयु की गणना संवीक्षा की तारीख के दिन से की जावेगी* )
- ✓ प्रस्तावक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हता प्राप्त नही है अर्थात जो व्यक्ति मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अधीन है , प्रस्तावक के रूप में किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नही होगा ।
- ✓ नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक या अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वास्तविक नही है

# नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार

- ✓ यदि अभ्यर्थी के द्वारा ऐसे आरक्षित पद/वार्ड से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिससे वह संबंधित नही है ।
- ✓ निक्षेप राशि जमा नही की गई है
- ✓ नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है ।

# नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार (पंचायत)

- ✓ मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिए हकदार नही है ।

उदा. – पंच /सरपंच /जनपद / जिला सदस्य पद के लिए एक व्यक्ति दो भिन्न वार्ड से नाम निर्देशन पत्र जमा नही कर सकता । समय के मान से जो पहले वाला फार्म है उसे स्वीकार किया जाएगा , दूसरे को सीधे ही निरस्त कर देंगें ।

# अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

**कोई भी व्यक्ति पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए पात्र नही होगा , यदि वह –**

- ✓ भारत का नागरिक नही है , या
- ✓ शासकीय सेवक है और वेतन या मानदेय के रूप में पारिश्रमिक पाता है , या
- ✓ स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में है , या
- ✓ किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त या न्याय निर्णीत किया जा चुका है , या

# अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ अनुमोचित दिवालिया है , या

- ✓ भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत ( dismiss ) कर दिया गया है , और उसकी ऐसी पदच्युति से पॉच वर्ष की कालावधि समाप्त नही हुई है या

# अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ भारत के किसी न्यायालय द्वारा , किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो , जब तक की दण्डादेश भुगतने के पश्चात उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो , या
- ✓ जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्ही उपबंधों के उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो , जब तक की दण्डादेश भुगतने के पश्चात उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो , या

# अभ्यथियों की निरर्हताएं

- पंचायत के साथ , उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई अंश या हित रखता है , जब तक ऐसा अंश या हित बना रहता है , या
- जिसने संपूर्ण शोध्यों का संदाय नही किया है जो पंचायत द्वारा वसूली योग्य हैं और ऐसे आशय की घोषणा कि उसके द्वारा किसी भी मद में पंचायत की देय किसी शोध्य धन का संदाय नही किया जाना है, नाम निर्देशन पत्र के साथ फाईल नहीं की है, या

# अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ जिसने पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अधिक्रमण किया है, या
- ✓ सरकारी प्लीडर है, या
- ✓ यदि वह राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है , या
- ✓ महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है , या

# अभ्यथियों की निरर्हताएं

- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने के कारण निरर्हित घोषित किया गया है , ( म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम की धारा –32ग ) या
- ✓ जिसके नाम से , मध्यप्रदेश राज्य विघुत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय , छः माह से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों

## आयोग का ज्ञाप क्रमांक एफ–38–5/2004/तीन/1977 दिनांक 28 दिसम्बर 2004

नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र/ घोषणा पत्र में दिए गए विवरण की जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। किन्तु यदि उक्त जानकारी से कोई निर्रहता उत्पन्न होती है तो ऐसी जानकारी का उपयोग संवीक्षा में किया जा सकता है।

## आयोग का ज्ञाप क्रमांक एफ–38–5 / 2004 / तीन / 1977 दिनांक 28 दिसम्बर 2004

उदा. – यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने शपथ पत्र में यह घोषित किया है कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास की सजा काट चुका है तो ऐसे प्रकरण में यदि उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हुई है तो उसे निर्वाचन लड़ने के लिए निर्रहित माना जाएगा।

# संवीक्षा के लिए चेक लिस्ट (पंच पद हेतु )

## एक सुझाव

- ग्राम पंचायत का नाम ............. आरक्षण की स्थिति .. अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ओपन (महिला / ओपन)
- अभ्यर्थी का नाम ...........
- अभ्यर्थी की आयु (क्या संवीक्षा दिवस को 21 वर्ष पुर्ण कर ली है) ......................
- अभ्यर्थी का मतदाता सूची में क्रमांक .............
- प्रस्तावक का मतदाता सूची में क्रमांक ............
- क्या प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता है,जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है ....

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

# संवीक्षा के लिए चेक लिस्ट (पंच पद हेतु )

**एक सुझाव**

- क्या अभ्यर्थी उसी जाति का है, जिसके लिए पंच का पद आरक्षित है ...........
- क्या अभ्यर्थी महिला है (महिला वर्ग के लिए आरक्षित पद हेतु) ...................
- क्या अभ्यर्थी के द्वारा अन्य वार्ड से आवेदन प्रस्तुत किया गया है ......................
- क्या अभ्यर्थी ने निक्षेप की राशि जमा की है (रसीद कटटा क्रमांक भरें) ................
- क्या अभ्यर्थी ने विहित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है ...........................
- क्या घोषणा पत्र के सभी कालम भरे हुए हैं .............................................

# संवीक्षा के लिए चेक लिस्ट (पंच पद हेतु )

## एक सुझाव

- अभ्यर्थी के द्वारा विघुत मंडल की अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ..............
- अभ्यर्थी के द्वारा ग्राम पंचायत की अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है .............
- अभ्यर्थी को किसी न्यायालय ने सिद्धदोष ठहराया है
- क्या अभ्यर्थी पंचायत या सरकार की भूमि या भवन पर अतिक्रामक है
- अभ्यर्थी का व्यवसाय ..................................................
- क्या अभ्यर्थी लाभ का पद धारण करता है ...........................
- संवीक्षा का संभावित परिणाम ..............................................................

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

- ✓ नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात यदि किसी स्थान के लिए , अन्य समस्त अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र नामंजूर हो जाने के परिणाम स्वरूप केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल यह तथ्य पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा

उदा. – यदि पंच पद के किसी वार्ड से 3 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए । संवीक्षा में उनमें से दो नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो गए व एक स्वीकृत हुआ ।

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

| पद | पुनरीक्षण प्राधिकारी |
|---|---|
| पंच एवं सरपंच | अनुविभागीय अधिकारी |
| जनपद सदस्य | कलेक्टर |
| जिला पंचायत सदस्य | कमिश्नर |

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

- ✓ रिटर्निंग अधिकारी **प्ररूप–5 क** में सूचना अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेगा ।
- ✓ प्रश्नाधीन स्थान के लिए प्राप्त नाम–निर्देशनों से संबंधित समस्त कागज पत्र पुनरीक्षण प्राधिकारी को अधिकतम अगले दिवस 11.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा ।
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मामलों पर विचार करने का दिन संवीक्षा की तारीख के पश्चात का अगला दिन होगा ।

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

- ✓ यदि यह दिवस सार्वजनिक अवकाश का दिन भी है तो भी पुनरीक्षण प्राधिकारी कार्यवाही करेगा ।
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी के द्वारा मामले में विचार करने के पूर्व पृथक से किसी अभ्यर्थी को कोई सूचना जारी नही की जावेगी ।
- ✓ प्ररूप 5–क में जारी सूचना को ही अभ्यर्थीयों के संज्ञान में मामला होना माना जावेगा

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

- ✓ पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी स्वयं या उसका प्रस्तावक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं ।
- ✓ वे अपने पक्ष में तथ्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी , रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर किए गए नाम–निर्देशन पत्रों का एक एक करके परीक्षण करेगा ।

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

- ✓ यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी यह पाता है कि किसी नाम निर्देशन पत्र को गलत नामंजूर किया गया है , तो वह लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों सहित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण करते हुए ऐसे नाम–निर्देशन पत्र को बैध घोषित करेगा ।
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी मामले का तत्परता से निपटारा करेगा और मामले की नस्ती को अपने आदेश की अभि प्रमाणित प्रति के साथ शीघ्रता से रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेगा

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

- ✓ किसी भी स्थिति में पुनरीक्षण प्राधिकारी अभ्यर्थिता वापसी के लिए नियत की गई अंतिम तारीख को 2.00 बजे अपरान्ह के पूर्व नस्ती रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेगा ।
- ✓ नस्ती प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप – 5 में विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करेगा

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# पंचायत निर्वाचन ( नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण )

यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी मामले को पूर्वोक्त समयावधि में निराकृत कर पाने में असफल रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी प्रश्नाधीन स्थान के लिए निर्वाचन स्थगित कर देगा तथा स्थिति के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को प्रतिवेदन भेजेगा

# अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना

- कोई भी अभ्यर्थी संवीक्षा के तत्काल बाद से नाम वापसी की नियत तिथि व समय तक प्ररूप –6 में आवेदन परिदत्त कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा
- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने का आवेदन अभ्यर्थी स्वयं या उसका प्रस्तावक या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा
- जब आवेदन प्रस्तावक या अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है , तब आवेदन पत्र के साथ नाम निर्देशन पत्र की मूल अभिस्वीकृति प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है

# अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना

- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने के आवेदन पत्र के संबंध में उसकी प्रमाणिकता और उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में पूरा समाधान कर लेना चाहिए
- यदि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित न हो तो अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए अधिकार पत्र में के हस्ताक्षर का मिलान नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा किए गए हस्ताक्षर से कर लेना चाहिए
- अभ्यर्थी के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में आवेदन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह अंकित कर लेना चाहिए

# अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना

- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप –7 में तैयार कर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे
- एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन दे दिए जाने के उपरांत उसे वापस नही लिया जा सकता
- रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पंच के मामले में प्ररूप 8–क, सरपंच के मामले में प्ररूप 8–ख, जनपद सदस्य के मामले में प्ररूप 8–ग व जिला पंचायत सदस्य के मामले में प्ररूप 8–घ में तैयार करेगा

# निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

- ✓ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थीयों से आशय उन अभ्यथियों से है , जिनके नाम संवीक्षा में बैध पाए गए हैं और जिन्होने अपनी अभ्यर्थिता वापस नही ली है
- ✓ यह सूची नाम–निर्देशन पत्र के **क्रमांक– 18** में अंग्रेजी में अंकित अभ्यर्थी के नाम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रमानुसार तैयार की जावेगी
- ✓ सूची में अभ्यर्थी का नाम उसी प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र की **क्रमांक –17** में लिखा है

# निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

उदाहरण :– यदि वार्ड क्रमांक 01 से पंच पद के लिए निम्न अभ्यर्थियों के द्वारा नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं

| | | |
|---|---|---|
| राजा भाई | Raja Bhai | (3) |
| दीपक | Deepak | (1) |
| रामगोपाल | Ramgopal | (4) |
| राममोहन | Rammohan | (5) |
| गीतेश | Geetesh | (2) |
| सूर्यकांत | Suryakant | (6) |

# प्रतीक चिन्ह का आवंटन ( पंचायत )

- पंचायत निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पसंद का प्रतीक चिन्ह चुनने की सुविधा नही है ।
- रिटर्निंग अधिकारी भी किसी अभ्यर्थी को अपने मन से कोई प्रतीक आबंटित नही कर सकता ।
- पद विशेष के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों में से क्रमानुसार प्रतीक चिन्ह आबंटित किए जाएगें । उदा0 पंच पद के लिए प्रथम क्रमांक वाला प्रतीक चिन्ह सीढ़ी प्रथम अभ्यर्थी को दिया जाएगा । दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को द्वितीय क्रमांक पर अंकित प्रतीक चिन्ह फावड़ा मिलेगा ।

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# प्रतीक चिन्ह का आवंटन ( पंचायत )

| पद | प्रतीक |
|---|---|
| जिला पंचायत सदस्य | 39 |
| जनपद सदस्य | 23 |
| सरपंच | 24 |
| पंच | 10 |
| अतिरिक्त | 24 |

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

# प्रतीक चिन्ह का आवंटन ( पंचायत )

## पंच पद के लिए निर्धारित प्रतीक

| क्रमांक | प्रतीक | क्रमांक | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1 | सीढ़ी | 6 | बिजली का स्विच |
| 2 | फावड़ा | 7 | मक्के का भुट्टा |
| 3 | बाल्टी | 8 | कैंची |
| 4 | हल | 9 | केतली |
| 5 | कुल्हाड़ी | 10 | बेलन |

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# प्रतीक चिन्ह का आवंटन ( पंचायत )

## बहुलता की स्थिति में अतिरिक्त प्रतीक

| क्रमांक | प्रतीक | क्रमांक | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1 | बनियान | 20 | डोली |
| 2 | कमीज | 21 | आईसक्रीम |
| 3 | फ्राक | 22 | शटल |
| 4 | गुलाब का फूल | 23 | टेन्ट |
| 5 | पोत | 24 | छड़ी |

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# नियम 40—क

यदि मतदान की तारीख के पहले रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी, जो प्रथम दृष्टया अ.जा., अ.ज.जा. या अन्य पिछड़े वर्ग का नही है, का नामनिर्देशन आपत्ति प्राप्त न होने / चूक से उक्त वर्गों के लिए आरक्षित स्थान से स्वीकार हो गया है, तो वह तत्काल ऐसे अभ्यर्थी को सूचना जारी करेगा कि वह उस वर्ग का सदस्य होने के बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, एक शपथ पत्र दाखिल करे

# नियम 40-क

यदि संबंधित अभ्यर्थी, शपथ पत्र दाखिल कर देता है तो रिटर्निंग अधिकारी मामले में आगे जांच नहीं करेगा और नाम निर्देशन को बैध मानेगा

# नियम 40-क

यदि संबंधित अभ्यर्थी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व शपथ पत्र दाखिल करने में असफल रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी पूर्ण तथ्य के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदित करेगा और नामनिर्देशन की बैधता के संबंध में अपने आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अनुमति प्राप्त करेगा

# नियम 40-क

## पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदाय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

| पंच एवं सरपंच | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) |
|---|---|
| जनपद सदस्य | कलेक्टर |
| जिला पंचायत सदस्य | संभागायुक्त |

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# नियम 40-क

- ❖ सक्षम प्राधिकारी उसे संदर्भित प्रत्येक मामले का तत्काल निपटारा करेगा और अपने आदेश से यथाशीघ्र रिटर्निंग अधिकारी को संसूचित करेगा
- ❖ सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी अपने आदेश का पुनराविलोकन करेगा और संबंधित अभ्यर्थी का नाम विधिमान्य अभ्यर्थीयों की सूची और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची से हटाएगा

# नियम 40-क

- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संशोधित सूची तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करेगा
- परंतु इस बीच अभ्यर्थी के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी अपने आदेश का पुनर्विलोकन नही करेगा

**मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**

# नियम 40-क निर्वाचन का स्थगन

- यदि सक्षम प्राधिकारी मामले का निपटारा मतदान के दिन के कम से कम 5 दिन पहले करने में असफल रहता है
- यदि रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन स्वीकार करने के संबंध में त्रुटि का ज्ञान उस दिन हो जिसके बाद मतदान के लिए 7 दिन से कम की अवधि बची हो

# नियम 40-क निर्वाचन का स्थगन

रिटर्निंग अधिकारी ऐसे स्थान के लिए निर्वाचन स्थगित कर देगा और मामले की रिपोर्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को करेगा

# निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले कागज–पत्र

- ✓ रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उसे आवंटित प्रतीक चिन्ह का नमूना
- ✓ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
- ✓ मतदान केन्द्रों की सूची
- ✓ आदर्श आचार संहिता की प्रति
- ✓ अभ्यर्थी का पहचान पत्र

निःशुल्क प्रदान किए जाने चाहिए

प्रस्तुतकर्ता – दीपक पाण्डेय तहसीलदार

# THANK YOU

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग